# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री आशुतोष व्यास निवासी सांगानेर कॉलोनी वार्ड न0 42 भीलवाड़ा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :— 179 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | —: निर्णय :—<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>2. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन दिनांक 03.05.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249850744748829 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 05 दिनांक 12.01.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा सूचना प्रेषित की गई है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 13—01—2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(जसमीत सिहं संधू)<br>प्रथम अपील अधिकारी<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा | |